

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "टैरिफ ऑफर्स के प्रकाशन में पारदर्शिता" पर खुला मंच चर्चा का आयोजन किया।

नई दिल्ली, १९ जून, २०२०: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज १७ जून, २०२० को जारी परामर्श पत्र: "टैरिफ ऑफर्स के प्रकाशन में पारदर्शिता" पर खुला मंच चर्चा का आयोजन किया है।

२. कोविड-१९ महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए भादूविप्रा ने ऑनलाइन ओएचडी आयोजित करने का एक अनूठा कदम उठाया है ताकि पारदर्शी सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की आदर्श पद्धति को बरकरार रखा जा सके, जिसका पालन प्राधिकरण अपनी शुरुआत से ही कर रहा है और इसके साथ महामारी के किसी अवांछित प्रसार को भी रोका जा सके।

३. 17 जून 2020 का ओएचडी ऑनलाइन ओएचडी की श्रृंखला में तीसरा था और पूरे भारत से इस आयोजन के लिए पंजीकरण करने वाले 132 प्रतिभागियों के साथ इसके लिए विभिन्न हितधारकों की शानदार भागीदारी देखी गई। सेवा प्रदाताओं और उनके संघों (COAI, ACTO, TAIPA) के अलावा, हितधारकों में उपभोक्ता मामले विभाग, व्यक्तिगत उपभोक्ता, उपभोक्ता समूह, परामर्शदाता और सलाहकार/परामर्श फर्म, कानूनी फर्म, आईटी पेशेवर, छात्र, वरिष्ठ नागरिक, गृहिणियां, शोधकर्ता, पत्रकार आदि शामिल थे। भादूविप्रा ओएचडी का नया प्रारूप, जिसमें कोई भी भारत में कहीं से भी अपने घरों से बड़ी आसानी से भाग ले सकता है, को सभी हितधारकों ने सर्वसम्मति से सराहा है। इसने प्रतिभागियों को वर्चुअली हाथ उठाने और सबको दिखाई देते हुए बोलने के लिए माइक्रोफोन प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया। वे अपने विचारों को एक साथ टेक्स्ट भी कर सकते थे। साथ ही प्रतिभागियों ने वर्चुअली अपनी टेबल्स को चुनने और अन्य प्रतिभागियों के साथ बातचीत करने में समर्थ बनया है क्योंकि यह भौतिक प्रारूप में होता है। भादूविप्रा उन सभी हितधारकों का आभारी है जिन्होंने पहल में भाग लिया और इसकी सफलता में योगदान दिया।

४. भादूविप्रा ने अब तक, मुख्य रूप से टैरिफ के निर्धारण में प्रविरत की नीति का पालन किया है और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को रेट और दूरसंचार सेवाओं की संबंधित शर्तों को निर्धारित करने के लिए लचीलापन दिया है। हालांकि, इस तरह के लचीलेपन को नियामक पर्यवेक्षण के अधीन किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ टैरिफ पारदर्शिता के सिद्धांतों का अनुपालन में होते हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा पारदर्शिता के अपेक्षित स्तर के बिना उपभोक्ताओं को विषमता, परिणामी नुकसान और अपने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं प्रति परिणामी अविश्वास की संभावना होती है।

५. दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा टैरिफ ऑफर्स के प्रकाशन में पारदर्शिता अपेक्षाओं से संबंधित नियामक ढांचे की समीक्षा करने के लिए परामर्श पत्र की मांग की गई। परामर्श में व्यापक रूप से न केवल टैरिफ प्रस्तावों को प्रकाशित करने का तरीका शामिल था, बल्कि दूरसंचार सेवा के लिए वेबसाइटों, ऐप्स और अन्य स्वरूपों पर टैरिफ प्रदर्शित करने के तरीके भी शामिल किए गए थे और

इसमें नए टूल्स जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा टैरिफ गणना को शामिल किया गया था ताकि उपभोक्ता सर्वाधिक उचित टैरिफ को चुन सकें।

६. १७.०६.२०१९ को आयोजित ऑनलाइन ओएचडी के दौरान, प्राधिकरण ने हितधारकों को तीन दिनों के भीतर उपर्युक्त परामर्श पत्र में उठाए गए प्रश्नों पर टिप्पणियां/सुझाव/जानकारी मुहैया कराने का एक और अवसर प्रदान किया था। टिप्पणियां/जानकारी अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में श्री कौशल किशोर, सलाहकार (वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण) को ईमेल advfeal@traai.gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

७. प्राधिकरण हितधारकों से विभिन्न चरणों यथा ओएचडी के दौरान टिप्पणियां, प्रति-टिप्पणियां, मौखिक, लिखित जानकारी और लिखित पूरक टिप्पणियां के गुणों/खामियों पर तथ्य, अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के अनुसार विचार करेगा और तदनुसार, उपभोक्तकों के हितों की रक्षा करने और क्षेत्र के उचित विकास को सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य अनुसार उचित समय पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा टैरिफ ऑफर के प्रकाशन में पारदर्शिता के विनियामक ढांचे को अपडेट करेगा।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।

